न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2017 (राजसमन्द डिक्री)

श्री बाघसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री इन्द्रसिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री भगवतसिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री नारायणसिंह मुतबन्ना कल्याणसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्रीमती नन्दकंवर बेवा कल्याणसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री मूलसिंह पिता विजयसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री अचलसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री दलेरसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री जीवनसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्रीमती पकिया कंवर पत्नी देवीसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
10. श्री रतनसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द के बजाय :–

    10/1– श्रीमती वीणा कुंवर उर्फ मीना कुंवर पुत्री रतनसिंह पत्नी भरतसिंह जी निवासी करेडा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

11. झी जब्बरसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
12. श्री डूंगरसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
13. श्री सुल्तानसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
14. श्री भंवरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
15. श्री जोरसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत निवासी चौकड़ी तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी आमेट. दिनांक 21–08–2013 प्रकरण
संख्या 219/2010 वाद

————/————

उपस्थित :–1– श्री डूंगरसिंह कर्णावट अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 3, 8 व 15
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–16

————/————

निर्णय **दिनांक 14–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणा व विभाजन एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र के संलग्न परिशिष्ठ **"अ"** वर्णित भूमियां राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान की खातेदारी की दर्ज भूमियां है। जिनका विधिवत विभाजन कर पृथक खाते दर्ज की जाय तथा विधिवत विभाजन तक भूमियों को विक्रय न करने की स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलवाई जाय। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–11–2010 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा तहसीलदार से

विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या–14, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–5–2013 को दिया गया एवं इसकी पालना में दिनांक 21–6–2013 को तहसीलदार आमेट को निर्दिष्ट किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–8–2013 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। उक्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 21–8–2013 को अंतिम डिक्री जारी कर दी। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–11 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–11–2016 को पेश की। इससे पूर्व अपील दिनांक 11–10–2013 को पेश की गई थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9–9–2016 को नई अपील पेश करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया था।

अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने के लिए दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया। अतएव मयाद कण्डोन की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 8, 15 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 4 से 7, 9, 10 व 11 से 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–16 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट बंटवाड़े में तालाब डूब की भूमि अकेले को दे दी गई तथा विभाजन योजना तैयार करते समय अपीलान्ट को सुना ही नहीं गया, न ही सूचना दी गई।

अपीलान्ट को जो भूमि दी गई उसका लगान तथा समान हिस्से के लगान में व्यापक अंतर है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाते समय अपीलान्ट को सूचित किया जाना तथा विभाजन प्रस्ताव किया जाना स्पष्ट नहीं है तथा राजस्व मण्डल के विभाजन नियम–18 से 21 के अनुसार विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड नहीं होकर भूमि का न्याय व साम्या के आधार पर विभाजन नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–08–2013 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा उपभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन नियमों के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर यदि कोई आपत्तियां प्राप्त होती है, तो उनका निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17–4–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर